

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 205/2021

राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट, न्यायालय परिसर, झुंझुनू, मो0न0 9413220969

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू। **आदेश**

दिनांक 20.10.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.09.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 205/2021 पर दिनांक 30.09.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/3207-3208 दिनांक 30.09.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/ सू0अ0/21/1900 दिनांक 05.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट, न्यायालय परिसर, झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 ( 4 ) ( 5 )न्याय/सू0अ0/09/291 दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग ने पत्र क्रमांक एफ 1 ( 8 )( 5 )सर्तकता/आरटीआई/16/1621 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति0 जिला कलक्टर ) झुंझुनू पत्रांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/ सू0अ0/21/1900 दिनांक 05.10.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी राधेश्याम सामरिया, एडवोकेट, न्यायालय परिसर, झुंझुनू का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 ( 4 )( 5 )न्याय/सू0अ0/09/291 दिनांक 12.08.2021 द्वारा प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। प्रभारी अधिकारी, सर्तकता अनुभाग ने पत्र क्रमांक एफ 1 ( 8 )( 5 )सर्तकता/आरटीआई/16/1621 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( यू0डी0खान )

जिला कलक्टर, झुंझुनू